छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 328 /अ.आ./मुख्या./निविदा/101-2011 रायपुर, दिनांक 28/01/2016

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
संभाग क्रमांक-1/2/3/4 रायपुर/
राजधानी परियोजना संभाग-I/II नया रायपुर
दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/बिलासपुर/राजनांदगाँव/
रायगढ /जगदलपुर /कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव

विषयः- मॉडल हाऊस निर्माण के संबंध में।

संदर्भः- मण्डल परिपत्र क्र. 23 दिनांक 23.01.2006।

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा 10वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.01.2006 में लिये गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक-21 संकल्प क्र. 275-21/10/01/2006 के निर्णय के परिपालन में यह प्रावधान किया गया है कि "ठेकेदार को अपनी निविदा अनुसार निविदा स्वीकृति के चार माह के अंदर प्रत्येक श्रेणी का एक मॉडल हाऊस निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा", परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि ठेकेदारों द्वारा मॉडल हाऊस का निर्माण नहीं किया जा रहा है तथा इस हेतु आपके द्वारा भी रूचि नहीं ली जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्यादेश जारी होने के चार माह के अंदर मॉडल हाऊस जिसमें निविदा में उल्लेखित समस्त आयटम का समावेश करते हुये निर्माण कार्य पूर्ण किया जाये, जिससे हितग्राहियों को भवन के पूर्णता पश्चात् प्राप्त होने वाले भवन के स्वरूप का पता चल सके। साथ ही एन.आई.टी. में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि निविदाकर्ता को कार्यादेश के 04 माह के भीतर मॉडल हाऊस का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा।

उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

28/1/16

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर

पृ. क्र. 329 /अ.आ./मुख्या./निविदा/101-2011 रायपुर, दिनांक 28/01/2016

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

28/1/16

अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय, रायपुर

F:\General Letter.doc